# <u>योजना का नाम</u>

# एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) -राष्ट्रीय बागवानी मिशन

**<u>योजना के उद्देश्य:</u>**

**योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-**

राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि प्रदान करना है।

- बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना।
- बागवानी विकास के लिए चल रहे अनेक योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप में सहयोगी बनाना तथा इन्हें दूसरे की ओर अभिमुख होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और इनका प्रसार।
- कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- किसानों/उत्पादकों की उचित आय को सुनिश्चित करने के लिए संहत क्षेत्रों को विकसित कर एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।
- पारम्परिक फसलों के क्षेत्रों को बागों, पुष्पों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित करना।
- पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को कम करना एवं उनके भण्डारण व्यवस्था हेतु ढांचागत सुविधाओं को प्रोत्साहन।

**<u>आच्छादित जनपद-</u>**

सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हाथरस,मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बरेली, उन्नाव, लखनऊ,रायबरेली,इटावा, कानपुर, कन्नौज, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर,सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, जौनपुर,गाजीपुर, वाराणसी,भदोही ,मीरजापुर, सोनभद्र, झांसी, फैजाबाद, गोरखपुर एवं फर्रूखाबाद ।

# **कार्यक्रम का नाम**

# गैर परियोजना आधारित कार्यक्रम

- **नवीन उद्यान रोपण-** आम, अमरूद, लीची एवं टिश्यू कल्चर केले का क्षेत्र विस्तार कराया जाता है।
- **पुष्प क्षेत्र विस्तार-** कट फ्लावर (रजनीगन्धा, गुलाब), बल्बस फ्लावर (ग्लैडियोलस) एवं लूज फ्लावर (गेंदा, देशी गुलाब) का कार्यक्रम कराया जाता है।
- **मसाला विकास कार्यक्रम-** हल्दी, प्याज एवं लहसुन उत्पादन के कार्यक्रम कराये जाते हैं।
- **पुराने बागो का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेन्ट-** आम एवं अमरुद के पुराने अफलत वाले उद्यानों का कैनोपी मैनेजमेन्ट के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य।
- **एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन-** बागवानी फसलों में कीटों व रोगों की रोकथाम के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन का कार्यक्रम।
- **मौनपालन कार्यक्रम-** कार्यक्रम के अन्तर्गत मौनवंश (हनी बी-कालोनी), मौनगृह (बी-हाइव) एवं मौनपालन उपकरण आदि का कार्य।
- **वर्मी कम्पोस्ट युनिट की स्थापना-** जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट (स्थायी ढांचा) की स्थापना कराते हुए जैविक खाद का उत्पादन ।
- **एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड का वितरण-** जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की स्थापना कराते हुए जैविक खाद का उत्पादन ।

**मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-**

चयनित लाभार्थी कृषकों को प्रदेश के भीतर दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण तथा सात दिवसीय प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विजिट के कार्यक्रम।

**जनपद एवं राज्य स्तरीय गोष्ठियां-**

आच्छादित जनपदों एवं मण्डल स्तर पर कृषकों की जागरूकता के लिये दो दिवसीय कृषक गोष्ठियों का आयोजन।

# <u>परियोजना आधारित कार्यक्रम :-</u>

- **छोटी पौधशालाओं की स्थापना-** फल पौध नर्सरी की स्थापना।
- **स्थापित पौधशालाओं का उच्चीकरण-** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मानकानुसार स्टार रेटिंग हेतु स्थापित पुरानी पौधषालाओं को उच्चीकृत करने के लिये।
- **नई टिश्यू कल्चर इकाई की स्थापना-** टिशूकल्चर विधि से पौधों के उत्पादन हेतु।
- **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम बीज उत्पादन कार्यक्रम-** बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आलू एवं मटर के आधारित बीज का उत्पादन कराया जाता है।
- **बीज विधायन इकाई की स्थापना-** उत्पादित प्रमाणित बीजों के प्रोसेसिंग हेतु इकाई की स्थापना।
- **मशरूम उत्पादन-** मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट यूनिट एवं कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट की स्थापना।
- **संरक्षित खेती-** ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में उच्च गुणवत्तायुक्त फूलों एवं सब्जी का उत्पादन।
- **हार्टीकल्चर मैकेनाइजेशन-** ट्रैक्टर 20 बीएचपी तक, पावर टिलर 8 बीएचपी तक एवं उससे अधिक तथा सीड सोइंग, प्लाण्टिंग, खुदाई उपकरण।
- **पौध रक्षा उपकरण-** फसलों पर छिड़काव हेतु शक्तिचालित स्प्रेयर मशीने।
- **पैक हाउस की स्थापना-** फसलों के उत्पादन के उपरान्त उनके वाशिंग, ग्रेडिंग/सार्टिंग व पैकिंग हेतु।
- **कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, विस्तार,आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन-** नये कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, पुराने स्थापित कोल्ड स्टोरेज के विस्तार, उनके आधुनिकीकरण एवं नयी तकनीकी में उन्नयन हेतु।
- **राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना-** फलों को प्राकृतिक हार्मोन के माध्यम से पकाने हेतु यह आधुनिक विधि बहुत उपयोगी है ।
- **प्रिजर्वेशन यूनिट की स्थापना-** फलों, शाकभाजी के संरक्षण हेतु कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/उद्यमियों द्वारा इकाई की स्थापना।
- **लो कास्ट प्याज भण्डारगृहों की स्थापना (25 मी टन)-** प्याज फसल के कन्दों को सड़न से बचाने एवं अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु।
- **रेफ्रिजरेटेड वैन-** उत्पाद को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट हेतु।

**अनुमन्य अनुदान मदवार :-**

**अ- <u>गैर परियोजना आधारित:-</u>**

1. **नवीन उद्यान रोपण**
   - **आम-** इकाई लागत रु0 25500.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 12750.00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./ आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि पर तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 7650.00, द्वितीय वर्ष रु0-2550.00, तृतीय वर्ष रु0 2550.00)
   - **अमरुद-** इकाई लागत रु 38340.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 19170.00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि पर तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 11502.00, द्वितीय वर्ष रु0-3834.00, तृतीय वर्ष रु0 3834.00)
   - **लीची-** इकाई लागत रु0 28000.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 14000.00 00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि पर तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 8400.00, द्वितीय वर्ष रु0-2800.00, तृतीय वर्ष रु0 2800.00)
   - **केला टिशूकल्चर-(बिना ड्रिप सुविधा के)-** इकाई लागत रु0 102462.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 40985.00 दो वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 30738.00 रोपण सामग्री पर तथा द्वितीय वर्ष रु0-10247.00 आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं उर्वरक पर)।
   - 

2. **<u>पुष्प क्षेत्र विस्तार-</u>**
   - **<u>कट फ्लावर - (रजनीगन्धा, गुलाब)</u>**
     - **<u>लघु एवं सीमान्त कृषक -</u>**इकाई लागत रु0 100000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 40000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
     - **अन्य कृषक-** इकाई लागत रु0 100000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 25000.00 अनुदान देय है।
   - **बल्बस फ्लावर - (ग्लैडियोलस)**
     - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** इकाई लागत रु0 150000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 60000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
     - **अन्य कृषक-** इकाई लागत रु0 150000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 37500.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।

- **लूज फ्लावर- (गेंदा, देशी, गुलाब)**
    - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 16000.00 अनुदान बीज आई.पी.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट पर देय है।
    - **अन्य कृषक-** इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 10000.00 अनुदान बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट पर देय।

3. **मसाला विकास कार्यक्रम-**
    - **हल्दी, लहसुन, प्याज-** इकाई लागत रु0 30000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 12000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
4. **पुराने बागो का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेन्ट- आम, अमरूद-**इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 20000.00 अनुदान उर्वरक पौध रक्षा रसायन एवं मल्चिंग शीट पर देय है।
5. **आई.पी.एम./आई.एन.एम. प्रोत्साहन कार्यक्रम-** इकाई लागत रु0 4000.00 प्रति है0 का 30 प्रतिशत धनराशि रु0 1200.00 अनुदान जैविक कीट व्याधि नाशकों पर देय है।
6. **मौनपालन कार्यक्रम-**
    - **मौनवंश (हनी बी-कालोनी)-** इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति कालोनी का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान इटैलियन बी (एपिस मैलीफेरा) की आठ फ्रेम की कालोनी पर देय है।
    - **मौन गृह (बी-हाइव)-** इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति हाइव का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान मौनगृह लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम कम्पलीट पर देय है।
    - **मौनपालन उपकरण-** इकाई लागत रु0 20000.00 प्रति सेट का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 8000.00 अनुदान मौनपालन उपकरण के सेट जिसमें 30 किलोग्राम क्षमता का फूड ग्रेड कन्टेनर, चार फ्रेम हनी एक्सट्रेक्टर तथा मौनपालन में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सम्मिलित हों पर देय है।

7. **मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-**

    - **दो द्विसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम-** (प्रदेश के भीतर) इकाई लागत रु0 1000.00 प्रति कृषक प्रतिदिन के सापेक्ष शत्- प्रतिशत अनुदान देय है।

    - **प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विज़िट कार्यक्रम-** यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है।

8. **एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की स्थापना-** इकाई लागत रू0 16000.00 का 50 प्रतिशत रू0 8000.00 प्रति इकाई अनुदान 12'x4'x2' (96 घन फिट) की प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर पर देय है।

ब- **परियोजना आधारित:-**

1. **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम-** इकाई लागत रु0 35000.00 प्रति है0 का 35 प्रतिशत अधिकतम

   रु0 12250.00 प्रति है0 अनुदान देय है।

2. **छोटी पौधशालाओं की स्थापना-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 15 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 6 लाख का अनुदान देय ।
3. **स्थापित पौधशालाओं का उच्चीकरण (निजी क्षेत्र) -** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 2. लाख प्रति हे. का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 1.25 लाख प्रति हे. का अनुदान देय ।
4. **नई टिश्यू कल्चर इकाई की स्थापना-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 250 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 100 लाख का अनुदान देय ।
5. **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 35 हजार का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 12,250 का अनुदान देय । है।
6. **बीज विधायन इकाई की स्थापना (निजी क्षेत्र) -** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 200 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 100 लाख का अनुदान देय ।
7. **मशरूम उत्पादन-** मशरूम उत्पादन इकाई व कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट हेतु कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 20-20 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 8-8 लाख का अनुदान देय । स्पान मेकिंग यूनिट एवं की स्थापना कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 15 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 6 लाख का अनुदान देय ।
8. **संरक्षित खेती**

9. **ग्रीन हाउस**

| **निर्मित एरिया** | **फैन एण्ड पैड सिस्टम** | **नेचुरली वेन्टीलेटेड सिस्टम** | **देय अनुदान** |
|---|---|---|---|
| 500 वर्ग मी0 एरिया तक | रू0 1650 प्रति वर्ग मी0 | रू0 1060 प्रति वर्ग मी0 | लागत का 50 प्रतिशत |
| 500 वर्ग मी0 से अधिक 1008 वर्ग | रू0 1465 प्रति वर्ग मी0 | रू0 935 प्रति वर्ग मी0 | अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मी0 तक | | | लाभार्थी |
| 1008 वर्ग मी0 से अधिक 2080 वर्ग मी0 तक | रू0 1420 प्रति वर्ग मी0 | रू0 890 प्रति वर्ग मी0 | |
| 2080 वर्ग मी0 से अधिक 4000 वर्ग मी0 तक | रू0 1400 प्रति वर्ग मी0 | रू0 844 प्रति वर्ग मी0 | |

**<u>शेडनेट हाउस -</u>**

अनुमन्य इकाई लागत रू0 710 प्रति वर्गमी का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी।

**<u>पाली हाउस में हाई वैल्यू सब्जी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री-</u>**

हाई वैल्यू सब्जियों को पाली हाउस में उगाने के लिए बीजों का मूल्य अधिक होने के कारण लाभार्थी कृषकों को लागत मूल्य पर, रू0 140 प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए अनुमन्य है।

**<u>पाली हाउस/शेडनेड हाउस में हाई वैल्यू पुष्प कारनेशन एवं जरवेरा उत्पादन हेतु रोपण सामग्री-</u>**

हाई वैल्यू पुष्पों कारनेशन एवं जरवेरा को पाली हाउस/शेडनेट हाउस में उगाने के लिए रोपण सामग्री का मूल्य अधिक होने के कारण लाभार्थी कृषकों को लागत मूल्य पर, रू0 610 प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए अनुमन्य है।

**<u>पाली हाउस/शेडनेड हाउस में हाई वैल्यू पुष्प गुलाब एवं लिलीयम उत्पादन हेतु रोपण सामग्री-</u>**

हाई वैल्यू पुष्पों गुलाब एवं लिलीयम को पाली हाउस/शेडनेट हाउस में उगाने के लिए रोपण सामग्री का मूल्य अधिक होने के कारण लाभार्थी कृषकों को लागत मूल्य पर, रू0 426 प्रति वर्ग मीटर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए अनुमन्य है।

1. **हार्टीकल्चर मैकेनाइजेशन-**

| क्र.सं. | शक्तिचालित मशीन / उपकरण | अनुमन्य लागत प्रति यूनिट | अनुमन्य अनुदान | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य वर्ग के लिए | लघु एवं सीमान्त कृषक / अनु.जाति /अनु.जनजाति / महिलाओं के लिए |
| **1-** | टैक्टर 20 बीएचपी तक | रू0 3.00 लाख | लागत का 25% अधिकतम रू0 0.75 लाख | लागत का 35% अधिकतम रू0 1.00 लाख |
| **2-** | पावर टिलर 8 बीएचपी से कम | रू0 1.00 लाख/यूनिट अधिकतम | अधिकतम 0.40 लाख/यूनिट | रू0 0.50 लाख/यूनिट |
| **3-** | पावर टिलर 8 बीएचपी एवं उससे अधिक | रू0 1.50 लाख/यूनिट अधिकतम | अधिकतम 0.60 लाख/यूनिट | रू0 0.75 लाख/यूनिट |
| **4-** | सोइंग,प्लाण्टिंग, रीपिंग, डिगिंग उपकरण | रू0 0.30 लाख/यूनिट अधिकतम | अधिकतम 0.12 लाख/यूनिट | रू0 0.15 लाख/यूनिट |

1. **पैक हाउस की स्थापना-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 4 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 2 लाख का अनुदान देय।

2. **कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 8000 प्रति मी0टन का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 140 लाख का अनुदान देय।

3. **तकनीकी उन्नयन-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 250 लाख का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 87.50 लाख का अनुदान देय हेतु।

4. **राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना-** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 1 लाख प्रति मीटन का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 35 लाख का अनुदान देय। है ।

5. **<u>प्रिजर्वेशन यूनिट की स्थापना-</u>** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 1 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 1 लाख का अनुदान देय ।

6. **<u>लो कास्ट प्याज भण्डारगृहों की स्थापना (25 मी0 टन)-</u>** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 175000 का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 87500 का अनुदान देय।

7. **<u>रेफ्रिजरेटेड वैन-</u>** कुल अनुमन्य इकाई लागत रू0 26 लाख का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 9.10 लाख का अनुदान देय।

**<u>आवेदक की पात्रता शर्तें:-</u>**

- लाभार्थी चयन में द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं हो अर्थात राज्य सेक्टर या केंद्र पोषित या किसी अन्य समान योजना में एक ही लाभार्थी चयनित नहीं किये जायेंगे।
- कृषक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। कृषकों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे- भूमि की पहचान हेतु खतौनी/किसान बही, किसान की पहचान हेतु वोटर आई.कार्ड./राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक तथा बैंक खाते की पासबुक का पहला पन्ना जिसपर खाताधारक का विवरण अंकित हो, उपलब्ध कराना होगा।
- लाभार्थी को सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी हो। लाभार्थी नई तकनीकों को अपनाने हेतु जागरूक हो एवं उसकी अभिरूचि औद्यानिक कार्यक्रमों के प्रति होनी चाहिए।
- लाभार्थी योजना के अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम हो।

**अनुमन्य क्षेत्रफल/मात्रा/संख्या:-**

1. **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम - प्रति लाभार्थी अधिकतम् 5 है0 तक।**
2. **नवीन उद्यान रोपण**
    - **आम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 7650.00 प्रति है0 के सापेक्ष लाभार्थियों को 110 आम के पौधे तथा आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2550.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2550.00 प्रति है0 के

सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।

- **<u>अमरुद-</u>** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 11502.00 प्रति है0 के सापेक्ष 306 अमरूद के पौधे, आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 3834.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 3834.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।

- **<u>लीची-</u>** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 8400.00 प्रति है0 के सापेक्ष 110 लीची के पौधे, आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री वर्मी कम्पोस्ट एवं माइकोराइजा, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2800.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2800.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।

- **<u>केला टिशूकल्चर-(बिना ड्रिप सुविधा के)-</u>** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 30738.00 प्रति है0 के सापेक्ष 3086 टिश्यू कल्चर केले के पौधे तथा द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 10247.00 प्रति है0 के सापेक्ष आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं उर्वरक दिया जाता है।

3. **<u>पुष्प क्षेत्र विस्तार-</u>**
    - **<u>कट फ्लावर - (रजनीगन्धा, गुलाब)</u>**
        - **<u>लघु एवं सीमान्त कृषक</u> -**कुल अनुदान रु0 40000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
        - **<u>अन्य कृषक-</u>** कुल अनुदान रु0 25000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
    - **<u>बल्बस फ्लावर - (ग्लैडियोलस)</u>**
        - **<u>लघु एवं सीमान्त कृषक-</u>** कुल अनुदान रु0 60000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
        - **<u>अन्य कृषक-</u>** कुल अनुदान रु0 37500.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

- **लूज फ्लावर- (गेंदा, देशी- गुलाब)**
  - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** कुल अनुदान रु0 16000.00 प्रति है0 के सापेक्ष गेंदा बीज 1 से 1.25 किग्रा0, आई.पी.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराई जाती है।
  - **अन्य कृषक-** कुल अनुदान रु0 10000.00 प्रति है0 के सापेक्ष गेंदा बीज 1 से 1.25 किग्रा0 एवं वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराई जाती है।

4. **मसाला विकास कार्यक्रम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम 04 है।
   - **लहसुन-** कुल अनुदान रु0 12000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

   - **मिर्च-** कुल अनुदान रु0 12000.00 प्रति है0 के सापेक्ष मिर्च बीज एवं बायोपेस्टीसाइड नीम बेस्ड उपलब्ध कराई जाती है।
5. **पुराने बागों का जीर्णोद्वार /कैनोपी मैनेजमेन्ट- (आम, अमरूद)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 02 है0। कुल अनुदान रु0 20000.00 प्रति है0 के सापेक्ष उर्वरक, पौध रक्षा रसायन एवं मल्चिंग शीट उपलब्ध कराई जाती है।

6. **आई.पी.एम./आई.एन.एम. प्रोत्साहन कार्यक्रम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 04 है0। कुल अनुदान रू0 1200 प्रति है0 जैविक कीट व्याधि नाशकों पर देय है।

7. **मौनपालन कार्यक्रम-**
   - **मौनवंश (हनी बी-कालोनी)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 50 मौनवंश। इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति कालोनी का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान इटैलियन बी (एपिस मैलीफेरा) की आठ फ्रेम की कालोनी पर देय है।

   - **मौन गृह (बी-हाइव)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 50 मौन गृह। इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति हाइव का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान मौनगृह लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम कम्पलीट पर देय है।

   - **मौनपालन उपकरण-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 01 सेट। इकाई लागत रु0 20000.00 प्रति सेट का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 8000.00 अनुदान मौनपालन उपकरण के सेट जिसमें 30 किलोग्राम क्षमता का फूड ग्रेड कन्टेनर, चार फ्रेम हनी एक्सट्रेक्टर तथा मौनपालन में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सम्मिलित हों पर देय है।

8. **<u>मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-</u>**

- **<u>दो द्विसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम-</u>** इकाई लागत रु0 1000.00 प्रति कृषक के सापेक्ष शत- प्रतिशत अनुदान देय है।
- **<u>प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रम-</u>** यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है। लागत के सापेक्ष शत् प्रतिशत् अनुदान देय है।

9. **आवेदन कैसे करें-**

योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषकों को वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक साइबर कैफे/जन सुविधा केन्द्र/कृषक लोकवाणी से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।

# योजना का नाम : प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरीगेशन)

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समेकित रूप से कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल एजेन्सी नामित है। उद्‌यान एवं खाद्‌य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश इस योजना के एक उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रोइरीगेशन का क्रियान्वयन विभाग है।

**कार्यक्रम के मुख्य घटक :** (अ) टपक (ड्रिप) सिंचाई (ब) स्प्रिंकलर सिंचाई (स) मानव संसाधन विकास।

**कार्य क्षेत्र :** योजना का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं जिसमें प्राथमिकता पर प्रदेश के चिन्हित अतिदोहित क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल एवं लघु सिंचाई विभाग के अदर इण्टरवेंशन्स के क्लस्टर्स को केन्द्रित करते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है।

**आच्छादित फसलें :-** योजनान्तर्गत बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलें सम्मिलित हैं, जिसमें आम, आंवला, लीची, अमरूद, नीबू, शरीफा, अनार, केला, पपीता, आलू, सभी प्रकार की शाकभाजी फसलें, औषधीय, गन्ना एवं अन्य कृषि फसलें सम्मिलित हैं।

**अनुदान पैटर्न:** भारत सरकार के मार्ग निर्देश 2017 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत पर अनिवार्य केन्द्रांश एवं राज्यांश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्ग के कृषकों को 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान की व्यवस्था निर्धारित की है जिसके फलस्वरूप लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत अनुदान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये दी जा रही है। निर्धारित केन्द्रांश, अनिवार्य राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान निम्नवत् है:-

| लाभार्थी श्रेणी | केन्द्रांश (40%) | राज्यांश (60%) | अतिरिक्त राज्यांश (Top-up) | कुल राज्यांश | कुल अनुदान प्रतिशत् | लाभार्थी अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लघु एवं सीमान्त | 33% | 22% | 35% | 57% | 90% | 10% |
| अन्य कृषक | 27% | 18% | 35% | 53% | 80% | 20% |

**आवेदक की पात्रता एवं अनुदान की देयता :**

- ❖ व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये।
- ❖ योजना का लाभ सरकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन कार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य होगा।
- ❖ ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।
- ❖ सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का श्रोत उपलब्ध हो।
- ❖ लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के श्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।
- ❖ एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

**अनुमन्य अनुदान :**

| घटक | लेटरल स्पेसिंग (मीटर में) | प्रमुख फसलें | निर्धारित इकाई लागत/ हे.. | लघु सीमान्त कृषक | | | अन्य कृषक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान |
| | | | | **33%** | **57%** | **90%** | **27%** | **53%** | **80%** |
| **ड्रिप सिंचाई पद्धति** | 12x12 | आम | 24889 | 8213 | 14187 | **22400** | 6720 | 13191 | **19911** |
| | 10x10 | आम, लीची, आंवला | 26504 | 8746 | 15107 | **23854** | 7156 | 14047 | **21203** |
| | 9x9 | आम, लीची, आंवला | 27640 | 9121 | 15755 | **24876** | 7463 | 14649 | **22112** |
| | 8x8 | आम, लीची, आंवला, बेर, बेल | 29132 | 9614 | 16605 | **26219** | 7866 | 15440 | **23306** |
| | 6x6 | अमरूद, | 35114 | 11588 | 20015 | **31603** | 9481 | 18611 | **28091** |

| घटक | लेटरल स्पेसिंग (मीटर में) | प्रमुख फसलें | निर्धारित इकाई लागत/ हे | लघु सीमान्त कृषक | | | अन्य कृषक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान |
| | | नीबू, शरीफा, अनार, आड़ू, अंगूर | | | | | | | |
| | 5x5 | अमरूद, नीबू, शरीफा, अनार, आड़ू, अंगूर | 39864 | 13155 | 22722 | **35878** | 10763 | 21128 | **31891** |
| | 4x4 | अमरूद, नीबू, शरीफा, अनार, आड़ू, अंगूर | 42046 | 13875 | 23966 | **37841** | 11352 | 22284 | **33637** |
| | 3x3 | अमरूद, नीबू, शरीफा, अनार, आड़ू, अंगूर | 48339 | 15952 | 27554 | **43505** | 13052 | 25620 | **38671** |
| | 2.5x2.5 | केला, पपीता | 69075 | 22795 | 39373 | **62168** | 18650 | 36610 | **55260** |
| | 2x2 | केला, पपीता, औषधीय पौधे, पुष्प | 84109 | 27756 | 47942 | **75698** | 22709 | 44578 | **67287** |
| | 1.5x1.5 | केला, पपीता, औषधीय | 98443 | 32486 | 56112 | **88599** | 26580 | 52175 | **78754** |

| घटक | लेटरल स्पेसिंग (मीटर में) | प्रमुख फसलें | निर्धारित इकाई लागत/ हे | लघु सीमान्त कृषक | | | अन्य कृषक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान |
| | | पौधे, पुष्प | | | | | | | |
| | 2.5x0.6 | कद्दूवर्गीय सब्जियाँ, तरबूज,खरबूज, औषधीय पौधे, पुष्प | 72617 | 23964 | 41392 | **65355** | 19607 | 38487 | **58094** |
| | 1.8x0.6 | कद्दूवर्गीय सब्जियाँ, तरबूज,खरबूज, औषधीय पौधे, पुष्प | 92689 | 30587 | 52833 | **83420** | 25026 | 49125 | **74151** |
| | 1.2x0.6 | गन्ना, सब्जियाँ, आलू, औषधीय पौधे, पुष्प | 115000 | 37950 | 65550 | **103500** | 31050 | 60950 | **92000** |
| **स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति** | **1. पोर्टेबल स्प्रिंकलर** | | | | | | | | |
| | 63 मि.मी. | सभी प्रकार की कृषि फसलें,पत्तेदार,सब्जियाँ, | 22473 | 7416 | 12810 | **20226** | 6068 | 11911 | **17978** |
| | 75 मि.मी. | | 25186 | 8311 | 14356 | **22667** | 6800 | 13348 | **20149** |
| | 90 मि.मी. (>3 हे.) | | 16232 | 5357 | 9252 | **14609** | 4383 | 8603 | **12986** |

| घटक | लेटरल स्पेसिंग (मीटर में) | प्रमुख फसलें | निर्धारित इकाई लागत/ हे | लघु सीमान्त कृषक | | | अन्य कृषक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान |
| | | तिलहन एवं दलहनी फसलें | | | | | | | |
| | **2. माइक्रो स्प्रिंकलर** | | | | | | | | |
| | 5x5 मीटर | | 67772 | 22365 | 38630 | **60995** | 18298 | 35919 | **54218** |
| | 3x3 मीटर | | 77304 | 25510 | 44063 | **69574** | 20872 | 40971 | **61843** |

| घटक | लेटरल स्पेसिंग (मीटर में) | प्रमुख फसलें | निर्धारित इकाई लागत/हे.. | लघु सीमान्त कृषक | | | अन्य कृषक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल अनुदान |
| | | | | **33%** | **57%** | **90%** | **27%** | **53%** | **80%** |
| | **3. मिनी स्प्रिंकलर** | | | | | | | | |
| | 10x10 मीटर | | 97994 | 32338 | 55857 | **88195** | 26458 | 51937 | **78395** |
| | 8 x 8 मीटर | | 108132 | 35684 | 61635 | **97319** | 29196 | 57310 | **86506** |
| **स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति** | **4. सेमी परमानेन्ट** | | 42098 | 13892 | 23996 | **37888** | 11366 | 22312 | **33678** |
| | **5.लार्ज वाल्यूम (रेनगन)** | | | | | | | | |
| | 63 मि.मी. | | 32983 | 10884 | 18800 | **29685** | 8905 | 17481 | **26386** |
| | 75 मि.मी. | | 39690 | 13098 | 22624 | **35721** | 10716 | 21036 | **31752** |
| | 90 मि.मी. (>3 हे.) | | 21780 | 7187 | 12415 | **19602** | 5881 | 11543 | **17424** |

**आवेदन कैसे करें :-**

योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषक पारदर्शी किसान सेवा योजना के वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजना पर जा कर ऑन लाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

**पंजीकृत/इम्पैनेल्ड निर्माता फर्म (प्रस्तावित) :-**

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना एवं विभिन्न घटकों की आपूर्ति हेतु निम्न निर्माता फर्मों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। लाभार्थी कृषक किसी भी पंजीकृत निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के अनुसार कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होगा। प्रस्तावित निर्माता फर्मे निम्नवत् हैं :-

| **क्र. सं.** | **निर्माता फर्म का नाम** | **दूरभाष संख्या/ई-मेल** | **कम्पोनेन्ट** |
|---|---|---|---|
| 1 | मे0 श्री भण्डारी प्लास्टिक प्रा.लि., जयपुर। | 0141-2230135/9672555543<br>bhandari.p.ltd@gmail.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 2 | मे0 प्रीमियर इरीगेशन एड्रीटेक, कोलकता। | 9873433099, 9412847999, Email-up@pial.in, jodhsingh4@gmail.com, | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 3 | मे0 तिरूपति स्ट्रक्चरल्स लि0, दिल्ली। | 011-43041449/8750052440<br>siddhartha@tirupatipipes.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 4 | मे0 कैप्टन पॉली प्लास्ट लि0, राजकोट, गुजरात। | 91-8797000567, 91-9873433807<br>ranchi@captainpolyplast.in, delhi@captainpolyplast.in | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 5 | मे0 राजकी इरीगेशन, चरखी, दादरी, हरियाणा। | 9415107452<br>maslucknow@gmail.com | पोर्टेबल स्प्रिंकलर |
| 6 | मे0 एस.आर.एम. प्लास्टोकेम प्रा.लि., कोटा, राजस्थान। | 0744-2390110/9571936470<br>srmplastochem@gmail.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 7 | मे0 नेटाफिम इरीगेशन इण्डिया प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात। | 91 02667264601/02/03/04, 619300<br>Email-response@netafim-india.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 8 | मे0 नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., हैदराबाद-तेलंगाना। | 040-27150141/42<br>micustomercare@nagarjunagroup.com | ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |

| क्र. सं. | निर्माता फर्म का नाम | दूरभाष संख्या/ई-मेल | कम्पोनेन्ट |
|---|---|---|---|
| 9 | मे0 रिवुलिस इरीगेशन इण्डिया प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात। | 91-2662670000 | ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 10 | मे0 स्वाती स्टोरवेल प्रा.लि., परवानू, हिमांचल प्रदेश। | 01792-232570, 232863 chemiplastgroup@yahoo.com | ऑन लाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 11 | मे0 हार्वेल एग्यूआ इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली। | 91(11)46224444, 26413370 info@harvel.in, azud.india@azud.com | ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 12 | मे0 दिनेश इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान। | 0141-2347180-81, 09413344750-51 dineshirrigation@gmail.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 13 | मे0 भगवती प्लास्टिक एवं पाइप इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान। | 0141-2587114, 9314607924, 9460221327, 9829326213, 9799414666 bppi.ambika@gmail.com | ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 14 | मे0 किसान इरीगेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश। | 0731-4718000/9425062142 ratnesh_kaurav@yahoo.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 15 | मे0 मोहित इण्डिया, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान। | 01493-220744/09839125349 gaurav.4912@gmail.com | पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 16 | मे0 पॉयनियर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली। | 011-40779900 ppil@vsnl.net, pioneer_accounts@yahoo.com | ऑन लाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 17 | मे0 जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि., जलगांव, महाराष्ट्र। | 91-257-2258011/2258022 jisl@jains.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 18 | मे0 मिराज पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि., उदयपुर, राजस्थान। | 8875786930 vivek.singh@mirajgroup.in | सभी प्रकार के स्प्रिंकलर |
| 19 | मे0 वाल्यूमिनस एनर्जी इण्डिया प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान। | 9829296555 voluminousenergy@gmail.com | पोर्टेबल स्प्रिंकलर |

| क्र. सं. | निर्माता फर्म का नाम | दूरभाष संख्या/ई-मेल | कम्पोनेन्ट |
|---|---|---|---|
| 20 | मे0 वेंकटेश इरीगेशन सिस्टम्स प्रा. लि., अजमेर, राजस्थान। | 9450897112 singh22jhansi@gmail.com / vanktesh@yahoo.com | ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 21 | मे0 अंकित इरीगेशन प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान। | 0141-2200649/9829214438 ankitirrigationp@yahoo.com | पोर्टेबल स्प्रिंकलर |
| 22 | मे0 फिनोलेक्स प्लासन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., पुणे, महाराष्ट्र। | 020-27518300 finolexplasson@fpil.in | ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 23 | मे0 राठी पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान। | 01423-265437/265445(F)/9829011506 rathipolyplast@gmail.com | ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 24 | मे0 एमटेल इण्डिया लि., अहमदाबाद, गुजरात। | 9415462431 avanishshkl@rediffmail.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 25 | मे0 श्री भगवती इरीगेशन, जयपुर, राजस्थान। | 0141-4048580/9829054960 shreebhagwatisr@gmail.com | सभी प्रकार के स्प्रिंकलर |
| 26 | मे0 निम्बस पाइप्स लि., जयपुर, राजस्थान। | 91-141-4028496/2208891 admin@nimbuspipes.com/ gm@nimbuspipes.com | ड्रिप एवं स्प्रिंकलर |
| 27 | मे0 भारत ड्रिप इरीगेशन एण्ड एग्रो, जयपुर, राजस्थान। | 0141-2240975 bharatdripirrigation@gmail.com | ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 28 | मे0 विशाखा इरीगेशन प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात। | 91-7961907373 prakashjani@vishakha.com, viplahd@vishakhairrigation.com | ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट स्प्रिंकलर |

# <u>योजना का नामः-</u>

# <u>राष्ट्रीय आयुष मिशन</u>

**<u>योजना का उद्देश्य :-</u>**

- औषधीय पादप जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों की अखंडता, गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा की कुंजी हैं, उन्हे कृषि प्रणालियों में शामिल करके, उनकी कृषि को बढ़ावा देना जिससे किसानों को फसल विविधता का एक विकल्प मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी।
- मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों का अनुकरण करते हुए कृषि करना जिससे आयुष पद्धतियों की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता में वृद्धि होगी और जड़ी-बूटियों, अर्को, फाइटो-रासायनिकों, आहार पूरकों, सौन्दर्य प्रसाधनों और आयुष उत्पादों जैसी मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी।
- कृषि अभिसरण, भण्डारण, मूल्यवर्धन एवं विपणन के माध्यम से प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को सहायता देना और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास ताकि ऐसे समूहों में एकक (Unit) स्थापित की जा सकें।
- गुणवत्ता मानकों, अच्छे कृषि अभ्यासों, अच्छे संग्रहण अभ्यासों और अच्छे भण्डारण अभ्यासों के लिए प्रमाणन क्रियाविधि को लागू करना तथा उसका समर्थन करना।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय राज्यीय और उप राज्यीय स्तर पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अनुसंधान एंव विकास, प्रसंस्करण तथा विपणन में जुटे हुए पणधारियों (Stack holders) के बीच भागीदारी, अभिसरण (Convergence) और सहक्रिया (Synergy) को बढ़ावा देना।

**<u>आच्छादित जनपदः-</u>**

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर,सम्भल, मेरठ, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर एवं बहराइच।

**<u>कार्यक्रम का नामः-</u>**

- औषधीय पौध क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न फसलें यथा- सर्पगन्धा, अश्वगंधा, ब्राम्ही, कालमेघ, कौंच, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वच एवं आर्टीमीशिया के क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम कराया जाता है।

- ○ **पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्टः-** पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्टोरेज गोडाउन एवं ड्राइंगशेड का निर्माण।

**अनुमन्य अनुदान मदवारः-**

- **सर्पगन्धाः-** इकाई लागत धनराशि रू0 91506.25 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 50 %देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 45753.00 का भुगतान किया जायेगा।
- **अश्वगंधाः-** इकाई लागत धनराशि रू0 36602.50 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 10980.75 का भुगतान किया जायेगा।
- **ब्राम्हीः-** इकाई लागत धनराशि रू0 58564.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 17569.20 का भुगतान किया जायेगा।
- **कालमेघः-** इकाई लागत धनराशि रू0 36602.50 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 10980.75 का भुगतान किया जायेगा।
- **कौंचः-** इकाई लागत धनराशि रू0 29282.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 8784.60 का भुगतान किया जायेगा।
- **सतावरीः-** इकाई लागत धनराशि रू0 91506.25 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 27451.80 का भुगतान किया जायेगा।
- **तुलसीः-** इकाई लागत धनराशि रू0 43923.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 13176.90 का भुगतान किया जायेगा।
- **एलोवेराः-** इकाई लागत धनराशि रू0 62224.25 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 18672.20 का भुगतान किया जायेगा।
- **वचः-** इकाई लागत धनराशि रू0 91506.25 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 27451.80 का भुगतान किया जायेगा।
- **आर्टीमीशियाः-** इकाई लागत धनराशि रू0 48741.25 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष 30% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 14622.25 का भुगतान किया जायेगा।
- **ड्राइंगशेडः-** इकाई लागत धनराशि रू0 10.00 लाख प्रति इकाई के सापेक्ष 50% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 5.00 लाख का भुगतान किया जायेगा।
- **स्टोरेज गोडाउनः-** इकाई लागत धनराशि रू0 10.00 लाख प्रति इकाई के सापेक्ष 50% देय अनुदान अधिकतम धनराशि रू0 5.00 लाख का भुगतान किया जायेगा।

**आवेदक की पात्रता शर्तेः-**

- कृषक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.upagriculture.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- लाभार्थी के पास राजस्व भू-अभिलेखों में स्वयं के नाम भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

- लाभार्थी के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन होना चाहिए।
- लाभार्थी कृषक के पास बैंक खाता एवं चेकबुक उपलब्ध होना चाहिए।
- लाभार्थी योजना के अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि वहन करने में सक्षम हो।
- लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।
- लाभार्थी को सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी हो एवं कार्यक्रम में उसकी अभिरूचि हो।
- लाभार्थी का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

**अनुमन्य क्षेत्रफल/मात्रा/संख्याः-**

- **सर्पगन्धाः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा-ताजी जड़ 100 Kg. प्रति हेक्टेयर
- **अश्वगंधाः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 8 से 10 Kg. प्रति हेक्टेयर
- **ब्राम्हीः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 100 Kg. रनर्स प्रति हेक्टेयर
- **कालमेघः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 450 Gm.प्रति हेक्टेयर
- **कौंचः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 9 से 10 Kg. प्रति हेक्टेयर
- **सतावरीः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 2.5 से 3 Kg. प्रति हेक्टेयर
- **तुलसीः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 1 Kg. प्रति हेक्टेयर
- **एलोवेराः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 50000 पौध/सकर्स प्रति हेक्टेयर
- **वचः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 74074 तनों के सकर्स प्रति हेक्टेयर
- **आर्टीमीशियाः** अधिकतम् क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, बीज की मात्रा- 50 Gm.प्रति हेक्टेयर

**<u>आवेदन कैसे करें</u>**

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा इसके लिए जनसुविधा केन्द्र कृषक लोकवाणी साइबर कैफे आदि के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है।

# योजना का नाम

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

**योजना का उद्देश्य :-**

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि प्रदान करना है।
- बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना।
- बागवानी विकास के लिए चल रहे अनेक योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप में सहयोगी बनाना तथा इन्हें दूसरे की ओर अभिमुख होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और इनका प्रसार।
- कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को उपलब्ध कराना।
- किसानों/उत्पादकों की उचित आय को सुनिश्चित करने के लिए संहत क्षेत्रों को विकसित कर एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।
- पारम्परिक फसलों के क्षेत्रों को बागों, पुष्पों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित करना।

**कार्यक्रम का नाम :-**

**अ- 30-नान एन.एच.एम. जनपदों में औद्युनिक विकास परियोजना :**

**आच्छादित जनपद-**

गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, शामली, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, पीलीभीत, एटा, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चन्दौली, आजमगढ़, मऊ एवं देवरिया, रामपुर।

**कार्यक्रम :**

- **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम-** बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आलू एवं मटर के आधारित बीज का उत्पादन कराया जाता है।
- **नवीन उद्यान रोपण-** आम, अमरूद, लीची एवं टिश्यू कल्चर केले का क्षेत्र विस्तार कराया जाता है।
- **पुष्प क्षेत्र विस्तार-** कट फ्लावर (रजनीगन्धा, गुलाब), बल्बस फ्लावर (ग्लैडियोलस) एवं लूज फ्लावर (गेंदा, देशी गुलाब) का कार्यक्रम कराया जाता है।
- **मसाला विकास कार्यक्रम-** मिर्च एवं लहसुन के कार्यक्रम कराये जाते हैं।
- **पुराने बागो का जीर्णोद्वार/कैनोपी मैनेजमेन्ट-** आम एवं अमरुद के पुराने अफलत वाले उद्यानों का कैनोपी मैनेजमेन्ट के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य।
- **आई.पी.एम./आई.एन.एम0 प्रोत्साहन कार्यक्रम-** बागवानी फसलों में कीटों व रोगों की रोकथाम के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन का कार्यक्रम।
- **मौनपालन कार्यक्रम-** कार्यक्रम के अन्तर्गत मौनवंश (हनी बी-कालोनी), मौनगृह (बी-हाइव) एवं मौनपालन उपकरण आदि का कार्य।
- **मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-** चयनित लाभार्थी कृषकों को जनपद के भीतर दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण तथा सात दिवसीय प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विजिट के कार्यक्रम।
- **एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की स्थापना-** जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की स्थापना कराते हुए जैविक खाद का उत्पादन कराया जाय।
- **तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम-** कार्यक्रम के अन्तर्गत पैक हाउस एवं लो कास्ट ओनियन स्टोरेज (25 मिट्रिक टन) की स्थापना कराई जाती है।

**ब- नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन आफ हाई वैल्यू बेजीटेबल्स परियोजना :**

**आच्छादित जनपद-** प्रदेश के समस्त 75 जनपद

**कार्यक्रम :** परियोजनान्तर्गत संकर पातगोभी, संकर शिमला मिर्च, संकर टमाटर एवं संकर लतावर्गीय सब्जियां (कुकर बिट्स), संकर लौकी, संकर तरोई, संकर करेला एवं संकर खीरा के कार्यक्रम।

**अनुमन्य अनुदान मदवार :-**

1. **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम-** इकाई लागत रु0 35000.00 प्रति है0 का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 12250.00 प्रति है0 अनुदान देय है।
2. **नवीन उद्यान रोपण**
    - **आम-** इकाई लागत रु0 25500.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 12750.00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./ आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि पर तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 7650.00, द्वितीय वर्ष रु0-2550.00, तृतीय वर्ष रु0 2550.00)
    - **अमरुद-** इकाई लागत रु 38340.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 19170.00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट आदि पर तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 11502.00, द्वितीय वर्ष रु0-3834.00, तृतीय वर्ष रु0 3834.00)
    - **लीची-** इकाई लागत रु0 28000.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 14000.00 पौध सामग्री, आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट पर आदि तीन वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 8400.00, द्वितीय वर्ष रु0-2800.00, तृतीय वर्ष रु0 2800.00)
    - **केला टिशूकल्चर-(बिना ड्रिप सुविधा के)-** इकाई लागत रु0 102462.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 40985.00 दो वर्षो में अनुदान देय है (प्रथम वर्ष-रु0 30738.00 रोपण सामग्री पर तथा द्वितीय वर्ष रु0-10247.00 आई.पी.एम./आई.एन.एम. एवं उर्वरक पर)।

3. **पुष्प क्षेत्र विस्तार-**
    - **कट फ्लावर - (रजनीगन्धा, गुलाब)**
        - **लघु एवं सीमान्त कृषक -**इकाई लागत रु0 100000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 40000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
        - **अन्य कृषक-** इकाई लागत रु0 100000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 25000.00 अनुदान देय है।

    - **बल्बस फ्लावर - (ग्लैडियोलस)**
        - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** इकाई लागत रु0 150000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 60000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
        - **अन्य कृषक-** इकाई लागत रु0 150000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 37500.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।

- **<u>लूज फ्लावर- (गेंदा, देशी- गुलाब)</u>**
    - **<u>लघु एवं सीमान्त कृषक-</u>** इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 16000.00 अनुदान बीज आई.पी.एम. एवं वर्मी कम्पोस्ट पर देय है।
    - **<u>अन्य कृषक-</u>** इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 25 प्रतिशत धनराशि रु0 10000.00 अनुदान बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट पर देय।

4. **<u>मसाला विकास कार्यक्रम-</u>**
    - **<u>लहसुन-</u>** इकाई लागत रु0 30000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 12000.00 अनुदान रोपण सामग्री पर देय है।
    - **<u>मिर्च-</u>** इकाई लागत रु0 30000.00 प्रति है0 का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 12000.00 अनुदान रोपण सामग्री एवं बायोपेस्टीसाइड नीम बेस्ड पर देय है।

5. **<u>पुराने बागो का जीर्णोद्धार कैनोपी मैनेजमेन्ट- (आम, अमरूद)-</u>** इकाई लागत रु0 40000.00 प्रति है0 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 20000.00 अनुदान उर्वरक पौध रक्षा रसायन एवं मल्चिंग शीट पर देय है।

6. **<u>आई.पी.एम./आई.एन.एम0 प्रोत्साहन कार्यक्रम-</u>** इकाई लागत रु0 4000.00 प्रति है0 का 30 प्रतिशत धनराशि रु0 1200.00 अनुदान जैविक कीट व्याधि नाशकों पर देय है।

7. **<u>मौनपालन कार्यक्रम-</u>**
    - **<u>मौनवंश (हनी बी-कालोनी)-</u>** इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति कालोनी का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान इटैलियन बी (एपिस मैलीफेरा) की आठ फ्रेम की कालोनी पर देय है।
    - **मौन गृह (बी-हाइव)-** इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति हाइव का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान मौनगृह लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम कम्पलीट पर देय है।
    - **<u>मौनपालन उपकरण-</u>** इकाई लागत रु0 20000.00 प्रति सेट का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 8000.00 अनुदान मौनपालन उपकरण के सेट जिसमें 30 किलोग्राम क्षमता का फूड ग्रेड कन्टेनर, चार फ्रेम हनी एक्सट्रेक्टर तथा मौनपालन में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सम्मिलित हों पर देय है।

8. **<u>मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-</u>**
    - **<u>दो द्विवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम-</u>** (जनपद स्तरीय) इकाई लागत रु0 1000.00 प्रति कृषक प्रतिदिन के सापेक्ष शत्- प्रतिशत अनुदान देय है।

- **<u>प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रम-</u>** <u>यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है।</u>

9. **<u>एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड की स्थापना-</u>** इकाई लागत रू0 16000.00 का 50 प्रतिशत रू0 8000.00 प्रति इकाई अनुदान 12'x4'x2' (96 घन फिट) की प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर पर देय है।
10. **<u>तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम-</u>** कार्यक्रम के अन्तर्गत पैक हाउस एवं लो कास्ट ओनियन स्टोरेज (25 मिट्रिक टन) की स्थापना कराई जाती है।
    - **<u>पैक हाउस-</u>** इकाई लागत रू0 4.00 लाख का 50 प्रतिशत, रू0 2.00 लाख का अनुदान 9मी0 x 6मी0 के पैक हाउस पर बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में देय है।
    - **<u>लो कास्ट ओनियन स्टोरेज (25 मिट्रिक टन)-</u>** इकाई लागत रू0 1.75 लाख का 50 प्रतिशत, रू0 0.875 लाख का अनुदान बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में देय है।

11. **<u>संकर शाकभाजी कार्यक्रम-</u>** कार्यक्रम में अन्तर्गत संकर पातगोभी, संकर शिमला मिर्च, संकर टमाटर एवं संकर लतावर्गीय सब्जियां (कुकर बिट्स) पर प्रति है0 इकाई लागत धनराशि रु0 50000.00 का 40 प्रतिशत अधिकतम रु0 20000.00 अनुदान संकर शाकभाजी बीजों एवं लो-टनल पर देय है।

**<u>आवेदक की पात्रता शर्ते :-</u>**

- लाभार्थी चयन में द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं हो अर्थात राज्य सेक्टर या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या किसी अन्य समान योजना में एक ही लाभार्थी चयनित नहीं किये जायेंगे।
- कृषक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबसाइट upagriculture.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- लाभार्थी के पास उपयुक्त भूमि स्वयं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। कृषकों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे- भूमि की पहचान हेतु खतौनी/किसान बही, किसान की पहचान हेतु वोटर आई.कार्ड./राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक तथा बैंक खाते की पासबुक का पहला पन्ना जिसपर खाताधारक का विवरण अंकित हो, उपलब्ध कराना होगा।
- लाभार्थी को सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी हो। लाभार्थी नई तकनीकों को अपनाने हेतु जागरूक हो एवं उसकी अभिरूचि औद्यानिक कार्यक्रमों के प्रति होनी चाहिए।
- लाभार्थी योजना के अन्तर्गत अनुदान धनराशि के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यक्रम पर व्यय होने वाली धनराशि तथा आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम हो।

**अनुमन्य क्षेत्रफल/मात्रा/संख्या :-**

1. **निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 5 है0 तक।
2. **नवीन उद्यान रोपण**
   - **आम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 7650.00 प्रति है0 के सापेक्ष लाभार्थियों को 110 आम के पौधे तथा आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2550.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2550.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./ आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।
   - **अमरुद-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 11502.00 प्रति है0 के सापेक्ष 306 अमरूद के पौधे, आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 3834.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 3834.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।
   - **लीची-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 8400.00 प्रति है0 के सापेक्ष 110 लीची के पौधे, आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री वर्मी कम्पोस्ट एवं माइकोराइजा, द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2800.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा तृतीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 2800.00 प्रति है0 के सापेक्ष पौध सामग्री एवं आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट दिया जाता है।
   - **केला टिशूकल्चर-(बिना ड्रिप सुविधा के)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 4 है0। प्रथम वर्ष में कुल देय अनुदान रू0 30738.00 प्रति है0 के सापेक्ष 3086 टिश्यू कल्चर केले के पौधे तथा द्वितीय वर्ष में कुल अनुदान रू0 10247.00 प्रति है0 के सापेक्ष आई.पी.एम./आई.एन.एम. सामग्री एवं उर्वरक दिया जाता है।
3. **पुष्प क्षेत्र विस्तार-** प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 है0
   - **कट फ्लावर - (रजनीगन्धा, गुलाब)**
     - **लघु एवं सीमान्त कृषक -**कुल अनुदान रु0 40000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
     - **अन्य कृषक-** कुल अनुदान रु0 25000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

- **बल्बस फ्लावर - (ग्लैडियोलस)**
  - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** कुल अनुदान रु0 60000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
  - **अन्य कृषक-** कुल अनुदान रु0 37500.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- **लूज फ्लावर- (गेंदा, देशी, गुलाब)**
  - **लघु एवं सीमान्त कृषक-** कुल अनुदान रु0 16000.00 प्रति है0 के सापेक्ष गेंदा बीज 1 से 1.25 किग्रा0, आई.पी.एम. सामग्री एवं वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराई जाती है।
  - **अन्य कृषक-** कुल अनुदान रु0 10000.00 प्रति है0 के सापेक्ष गेंदा बीज 1 से 1.25 किग्रा0 एवं वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराई जाती है।

4. **मसाला विकास कार्यक्रम-**
   - **लहसुन-** इकाई लागत रु0 120000.00 प्रति है0 के सापेक्ष रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
   - **मिर्च-** कुल अनुदान रु0 12000.00 प्रति है0 के सापेक्ष मिर्च बीज एवं बायोपेस्टीसाइड नीम बेस्ड उपलब्ध कराई जाती है।

5. **पुराने बागो का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेन्ट- (आम, अमरूद)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 02 है0। कुल अनुदान रु0 20000.00 प्रति है0 के सापेक्ष उर्वरक, पौध रक्षा रसायन एवं मल्चिंग शीट उपलब्ध कराई जाती है।
6. **आई.पी.एम./आई.एन.एम0 प्रोत्साहन कार्यक्रम-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 04 है0। कुल अनुदान रू0 1200 प्रति है0 जैविक कीट व्याधि नाशकों पर देय है।
7. **मौनपालन कार्यक्रम-**
   - **मौनवंश (हनी बी-कालोनी)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 50 मौनवंश। इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति कालोनी का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान इटैलियन बी (एपिस मैलीफेरा) की आठ फ्रेम की कालोनी पर देय है।
   - **मौन गृह (बी-हाइव)-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 50 मौन गृह। इकाई लागत रु0 2000.00 प्रति हाइव का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 800.00 अनुदान मौनगृह लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम कम्पलीट पर देय है।
   - **मौनपालन उपकरण-** प्रति लाभार्थी अधिकतम् 01 सेट। इकाई लागत रु0 20000.00 प्रति सेट का 40 प्रतिशत धनराशि रु0 8000.00 अनुदान मौनपालन उपकरण के सेट जिसमें 30 किलोग्राम क्षमता का फूड ग्रेड कन्टेनर, चार फ्रेम हनी एक्सट्रेक्टर तथा मौनपालन में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सम्मिलित हों पर देय है।

8. **<u>मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)-</u>**

- **<u>दो द्विसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम- (जनपद स्तरीय)-</u>** इकाई लागत रु0 1000.00 प्रति कृषक के सापेक्ष शत्- प्रतिशत अनुदान देय है।
- **<u>प्रदेश के बाहर एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रम-</u>** यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है। लागत के सापेक्ष शत् प्रतिशत् अनुदान देय है।

9. **<u>संकर शाकभाजी कार्यक्रम</u>-** प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 0.4 है0 तक।

- **<u>संकर शिमला मिर्च</u>**-कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 250 ग्राम बीज देय है।
- **<u>संकर पातगोभी-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 250 ग्राम बीज एवं 12 लो-टनल सेट देय है।
- **<u>संकर टमाटर-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 200 ग्राम बीज एवं 8 लो-टनल सेट देय हैं।
- **<u>संकर लौकी-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 1.5 किग्रा0 बीज एवं 12 लो-टनल सेट देय हैं।
- **<u>संकर करेला-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 1.5 किग्रा0 बीज एवं 8 लो-टनल सेट देय हैं।
- **<u>संकर तरोई-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 1.5 किग्रा0 बीज एवं 11 लो-टनल सेट देय हैं।
- **<u>संकर खीरा-</u>** कुल अनुदान 20000 प्रति है0 के सापेक्ष 1.0 किग्रा0 बीज देय है।

**<u>आवेदन कैसे करें :-</u>**

योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषकों को वेबसाइट upagriculture.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक साइबर कैफे/जन सुविधा केन्द्र/कृषक लोकवाणी से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।

## योजना का नाम

## प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना

**योजना का उद्देश्य**

- पान उत्पादको की आय की वृद्धि करके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार लाना।
- पान के उत्पादन में नवीन उन्नत तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
- पान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना।
- रोग एवं कीट नियंत्रण में वैज्ञानिक जैविक तरीकों को बढ़ावा देना।
- ग्रेडिंग, पैकिंग भण्डारण, परिवहन एवं विपणन में सुधार लाना।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- पान उत्पादकों को अन्य क्षेत्रों मे पलायन से रोकना।
- प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकाधिक आय एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन के लिये संशाधनों में वृद्धि कराना।

**आच्छादित जनपद**

उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुरनगर, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र।

**कार्यक्रम का नाम**

पान बरेजा निमार्ण का कार्य।

**अनुमन्य अनुदान मदवार**

प्रति बरेजा निर्माण 1500 वर्ग मी. की लागत धनराशि रु0-1,51,360.00 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0-75.680.00/- लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता अग्रिम रुप से बैक खाते में देय है।

**आवेदक की पात्रता शर्ते**

- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होगें। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी।
- लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
- पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।

- आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।

**<u>अनुमन्य क्षेत्रफल/मात्रा/संख्या</u>**

1500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल

| **क्र.सं0** | **सामग्री का नाम** | **मात्रा संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | बांस न0-1 (05 मी0 लम्बा05 से0मी0 मोटा वाला) | 800 बांस @ 30रु0 प्रति बांस |
| 2 | बांस न0-2 (04 मी0 लम्बा04 से0मी0 मोटा वाला) | 600 बांस @ 25 रु0 प्रति बांस |
| 3 | सनौआ (04 सेमी0 व्यास) | 200 बंडल @ 50 रु0 प्रति बन्डल |
| 4 | घास (दवाई हेतु 25 सेमी0 व्यास) | 60 बंडल @ 50 रु0 प्रति बन्डल |
| 5 | गन्ना पत्ती | 1.5 ट्राली @ 500 रु0 प्रति ट्राली |
| 6 | बकोड़ा | 10 बंडल @ 600 रु0 प्रति बन्डल |
| 7 | सागौन की बल्ली | 20 बंडल @ 600 रु0 प्रति बन्डल |
| 8 | जी0आई0तार 12 गेज | 15 किग्रा0 @ 90 रु0 प्रति कि.ग्रा. |
| 9 | जी0आई0तार 20 गेज | 20 किग्रा0 @ 85 रु0 प्रति कि.ग्रा. |
| 10 | स्प्रेयर मशीन (दवा छिड़काव हेतु) | 01 @ 2500 रु0 |
| 11 | पान बेंल कटिंग (ढोली) | 64 ढोली @ 365रु0 प्रति ढोली |
| 12 | उर्वरक / खली(किग्रा0) | 100 किग्रा तिल की खली @ 25 रु0 प्रति कि.ग्रा. |
| 13 | तालाब की काली मिट्टी(ट्राली में) | 5 ट्राली काली मिट्टी @ 400 रु0 प्रति ट्राली |
| 14 | सिंचाई हेतु ग्रिव्स इंजन | 01 सैट @ 2300 रु0 प्रति |
| 15 | अन्य व्यय (बरेजा निर्माण हेतु एग्रोनेट) | 01सैट @ 20000 रु0 प्रति ट्राली |
| 16 | रसायन / वृद्धि नियामक | |
| | कुल योग | |

**<u>आवेदन कैसे करें</u>**

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए जनसुविधा केन्द्र, कृषक लोकवाणी, साइबर कैफे आदि के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है।

**<u>योजना के मार्ग निर्देश</u>**

**<u>अनुदान का विवरण</u>**

पान की खेती 1500 वर्गमीटर में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु0 1,51,360.00 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0 75,680.00 लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता संलग्नक-2 मद अनुसार अनमन्य होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 75,680.00 कृषक अंश होगा। जनपदवार पृथक-पुथक बरेजा निर्माण के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आधार पर 12 जनपदों मे कुल 63 बरेजा का निर्माण कराया जाना है।

**<u>लाभार्थियों का चयन</u>**

- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट www.upagriculture.com पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होगें। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी।
- लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
- पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।

**<u>प्रजातियां एवं निवेशों की व्यवस्था</u>**

कार्यक्रम के अनतर्गत पान की देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मंघही, बनारसी आदि उन्नतशील प्रजातियों की खेती पर अनुदान अनुमन्य होगा। विभाग एक समन्वयक की भूमिका निभाते हुये निर्माण कार्य/निवेश की गुणवत्ता के मानक आदि को उपलब्ध कराते हुये उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उपाय करेगा। लाभार्थी अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्बन्धित उत्पादकों/संस्थाओं से क्रय करेगा।

**प्रचार-प्रसार भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी**

इस कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक है कि कृषकों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी के लिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये। तकनीकी जानकारी की सुलभता हेतु कृषको को तकनीकी साहित्य भी दिया जायेगा। पान की खेती करने वाले कृषकों/लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों की फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये।

प्रशिक्षण हेतु विभागी शोध केन्द्रों पर चयनित जनपदों के चयनित लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण/गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। जिसमे पान शोध केन्द्रों के वैज्ञानिक, पान विशेषज्ञ, भारत सरकार की संस्थाओं के पान विशेषज्ञों को अवश्य बुलाया जाये। पान की खेती कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार-प्रसार हेतु साहित्य की व्यवस्था भी शोध केन्द्रों पर कराई जायगी।

**अनुदान धनराशि का भुगतान**

- अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम के रुप में लाभार्थी/कृषकों को उसके बैक खाते में नियमानुसार सीधे जमा कराया जायेगा।
- इस संबंध में लाभार्थी कृषक से एक अनुबन्ध- पत्र भराना होगा की अग्रिम के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग पान की खेती के मानक मदों मे न करने पर अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी
- यदि लाभार्थी द्वारा मानक के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करके भूःराजस्व के बकाये की भांति वसूली सुनिश्चित किया जाय।

## योजना का नाम:

## अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)

**योजना का उद्देश्य**

- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषकों को औद्यानिक नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रेरित करना।
- औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक कृषि निवेशों की सुलभता प्रदान करना।
- औद्यानिक तकनीकी सम्बन्धी परामर्श/सलाह सुलभ कराना एवं अनुपूरक उद्यम के रूप में मौनपालन हेतु प्रोत्साहित करना है।
- औद्यानिक फसलों के उत्पादन से उनके आर्थिक स्तर में सुधार करना।

**आच्छादित जनपद :**

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद आच्छादित हैं।

**कार्यक्रम का नाम :**

- संकर शाकभाजी यथा संकर शिमला मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों (लौकी, कद्दू, करेला, खीरा तथा तरोई) की खेती को प्रोत्साहन।
- मसाला विकास कार्यक्रम यथा मिर्च, धनियाँ एवं लहसुन की खेती।
- पुष्प क्षेत्र विस्तार यथा गुलाब एवं गेंदा की खेती।
- एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन।
- मौनपालन कार्यक्रम।

**अनुमन्य अनुदान :**

| क्रम सं. | कार्यक्रम | इकाई | अनुमन्य अनुदान प्रति हेक्टेयर (रू0 में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | इकाई लागत | अनुमन्य अनुदान | |
| | | | | प्रतिशत | धनराशि |
| 1 | सब्जी उत्पादन (कद्दू वर्गीय संकर शिमला मिर्च ) | हेक्टेयर | 50000 | 75% | 37500 |
| 2 | मसाला की खेती मसाला मिर्च संकर धनियां] लहसुन) | हेक्टेयर | 30000 | 90% | 27000 |
| 3 | पुष्प उत्पादन : | | | | |
| | रोज कटिंग | हेक्टेयर | 100000 | 90% | 90000 |
| | गेंदा | हेक्टेयर | 40000 | 90% | 36000 |
| 4 | आई0पी0एम0 | हेक्टेयर | 4000 | 90% | 3600 |
| 5 | मौनवंश/मौनगृह | संख्या | 4000 | 90% | 3600 |

**कद्दू कुल के शाकभाजी की खेती :-**

**इकाई लागत रू0 50,000/- प्रति हेक्टेयर (धनराशि रू. में)**

| क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत / हेक्टेयर | अनुदान (75%) | कृषक अंश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीज सामग्री (1.5 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर ) | 12000 | 12000 | - |
| 2 | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | | 7500 |
| 3 | उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 7500 | 7500 | - |
| 4 | लो-टनल पॉली हाउस | 12000 | 12000 | - |
| 5 | पौध रक्षा सामग्री | 3000 | 3000 | - |
| 6 | सिंचाई तथा शस्य क्रियाएँ | 8000 | 3000 | 5000 |
| | योग :- | 50,000 | 37,500 | 12500 |

**संकर शिमला मिर्च की खेती :**

**इकाई लागत रू0 50,000/- प्रति हे0 (धनराशि रू. में)**

| क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान (90%) | कृषक अंश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीज सामग्री (250 ग्रा./हे.) | 22750 | 22750 | - |
| 2 | गोबर खाद/कम्पोस्ट (2.5 मी.टन) | 7500 | - | 7500 |
| 3 | उर्वरक जैव उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्व | 6000 | 1000 | 5000 |
| 4 | लो टनल पाली हाउस | 12000 | 12000 | - |
| 5 | पौध रक्षा रसायन | 1750 | 1750 | - |
| | योग :- | 50,000 | 37,500 | 12,500 |

**लहसुन :**

**इकाई लागत रू0 30,000/- प्रति हे0 (धनराषि रू. में)**

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **इकाई लागत /हे0** | **अनुदान (90%)** | **कृषक अंश** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण सामग्री 5 कु0 प्रति हे0 | 30000 | 27000 | 3000 |
| 2 | बायो पेस्टीसाइड्स | - | - | - |
| 3 | उर्वरक/जैव उर्वरक | - | - | - |
| | **योग :-** | | **27000** | **3000** |

**संकर मिर्च :**

**इकाई लागत रू0 30,000/- प्रति हे0 धनराशि रू. में**

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **इकाई लागत /हे0** | **अनुदान (90%)** | **कृषक अंश** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीज 250 ग्रा0 प्रति हे0 | 10500 | 10500 | - |
| 2 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 4500 | 500 |
| 3 | लो-टनल पॉली हाउस | 12000 | 12000 | - |
| 4 | सिंचाई व्यवस्था | 2500 | - | 2500 |
| | योग :- | 30000 | 27000 | 3000 |

**संकर धनियाँ :**

**इकाई लागत रू0 30,000/-प्रति हे0 धनराशि रू. में**

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **इकाई लागत /हे0** | **अनुदान (90%)** | **कृषक अंश** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीज 20 किग्रा0 प्रति हे0 | 8500 | 8500 | - |
| 2 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 5000 | - |
| 3 | बायो पेस्टीसाइड/पौध रक्षा सामग्री | 2500 | 2500 | - |
| 4 | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | 7500 | - |
| 5 | सिंचाई व्यवस्था | 3000 | 3000 | - |
| 6 | ऑपरेशनल कॉस्ट | 3500 | 500 | 3000 |
| | योग :- | 30000 | 27000 | 3000 |

**कट-फ्लावर गुलाब की खेती :**

**इकाई लागत रू0 1,00,000/-प्रति हे0**

| **विवरण** | **इकाई लागत /हे0** | **अनुदान (90%)** |
|---|---|---|
| रोपण सामग्री | 100000 | 90000 |
| **योग :-** | **100000** | **90000** |

**गेंदा की खेती :**

**दूरी 60सेमी0 x 30सेमी (धनराशि रू. में)**

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **इकाई लागत /हे0** | **अनुदान( 90%)** |
|---|---|---|---|
| 1 | बीज (1.5 किग्रा0 प्रति हे0) | 9000 | 9000 |
| 2 | आई0पी0एम0 (बेस्ड फार्मुलेशन, ट्राइकोडर्मा, नीम एवं पी0एस0बी0) | 4000 | 4000 |
| | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | 7500 |
| 3 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 5000 |
| 4 | वर्मी कम्पोस्ट | 5000 | 5000 |
| 5 | पौध रक्षा सामग्री | 3000 | 3000 |
| 6 | ऑपरेशनल कॉस्ट | 6500 | 2500 |
| | **योग :-** | **40000** | **36000** |

**एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी.एम.) :**

**इकाई लागत रू. 4000/-प्रति हेक्टेयर (धनराशि रू. में)**

| **फसल** | **आई. पी. एम. टूल्स** | **इकाई लागत /हे0** | **राज्य सहायता** |
|---|---|---|---|
| आम | अल्काथीन शीट 400 गेज मिलीबग हेतु | 800 | 800 |
| | विवेरिया/स्यूडोमोनॉस | 400 | 400 |
| | मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप | 600 | 600 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 1600 | 1200 |
| | आई. एन. एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के. | 600 | 600 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अमरूद | एसपरजिलस | 600 | 600 |
| | मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप | 800 | 800 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 2000 | 1600 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट/लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| बैगन | फेरोमोन ट्रैप़ एवं ल्योर्स (ल्यूसी ल्योर्स) | 1000 | 1000 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 1200 | 800 |
| | एन0पी0वी0 | 1200 | 1200 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट/लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| टमाटर | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 180 | 180 |
| | ट्राइकोकार्ड | 1100 | 1100 |
| | फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (SL/Ha ल्योर्स ) | 1200 | 1200 |
| | इन्सेक्ट अट्रैक्टेन्ट | 920 | 920 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| गोभीवर्गीय | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 180 | 180 |
| | ट्राइकोकार्ड | 1100 | 1100 |
| | फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (DBM ल्योर्स) | 1200 | 1200 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 920 | 920 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट / लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| कद्दूवर्गीय | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 400 | 400 |
| | मिथाइल यूजीनॉल/फरोमोन ट्रैप | 800 | 800 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 1100 | 1100 |
| | नीम केक | 1100 | 700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट/लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| भिण्डी | ट्राइकोडर्मा वीरडी/स्यूडोमोनॉस | 180 | 180 |
| | ट्राइकोकार्ड | 1200 | 1200 |
| | फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (म्ंतपैं ल्योर्स) | 1220 | 1220 |
| | इन्सेक्ट अट्रैक्टेन्ट | 800 | 800 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट/लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |
| मिर्च/शिमला/मिर्च : | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम/स्यूडोमोनॉस | 180 | 180 |
| | ट्राइकोकार्ड | 1200 | 1200 |
| | फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स ( HA/SL ल्योर्स) | 1120 | 1120 |
| | बायोपेस्टीसाइड्स | 900 | 900 |
| | आई0एन0एम0 कम्पोनेंट/लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 |
| | **कुल** | **4000** | **3600** |

**प्रति मौनवंश/मौनगृह कम्पलीट सेट की इकाई लागत एवं अनुमन्य अनुदान : (धनराशि रू. मे)**

| **क्रम सं0** | **मद** | **इकाई लागत** | **अनुदान (90%)** | **कृषक अंश (10%)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मौनगृह (लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम कम्पलीट) | 2000 | 1800 | 200 |
| 2 | मौनवंश-कालोनी 4 फ्रेम | 2000 | 1800 | 200 |
| | **योग - एक सेट** | **4000** | **3600** | **400** |

**आवेदक की पात्रता :-**

- आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि का होना चाहिए।
- लाभार्थी के नाम स्वयं की भूमि होनी चाहिए।

- आवेदक द्वारा योजनान्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से करने तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने हेतु इच्छुक हो।
- आवेदक की पहचान के लिए आधार कार्ड/ राशन कार्ड, भूमि की पहचान हेतु खतौनी की प्रति एवं योजना का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करने हेतु बैंक पास बुक का पहला पेज जिसपर नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो, की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।

**अनुमन्य क्षेत्रफल :**

- शाकभाजी, मसाला एवं पुष्प उत्पादन हेतु अधिकतम 0.2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी।
- आई.पी.एम. हेतु अधिकतम 0.4 हक्टेयर प्रति लाभार्थी।
- मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 5 मौन बक्शे (मौन वंश सहित)।

**आवेदन कैसे करें:**

योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषक वेबसाइट **http://upagriculture.com** पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

# <u>योजना का नाम :-</u>

# <u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस0सी0पी0 योजना)</u>

**<u>प्रस्तावना :-</u>**

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के स्तर में बढ़ोत्तरी की सम्भावनायें विद्यमान हैं, जिसे दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम में बेरोजगार युवक-युवतियों को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना है ताकि उन्हें आय का स्रोत सुलभ होने के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो।

**<u>उद्देश्य :-</u>** योजना के उद्देश्य निम्नवत हैं -

- कृषि और औद्यानिक उत्पादों को नष्ट होने से बचाना।
- पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करना।
- किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाना।
- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जनसामान्य को रोजगार उपलब्ध कराना।

**<u>योजना का क्षेत्र :-</u>**

- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य)- 31 जनपद।
- लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, शहजहाँपुर, मोदीपुरममेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, महोबा, कानपुर देहात, कौशाम्बी, औरैया, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़।
- उद्यामिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस0सी0पी0 योजना) - 17 जनपद।
  गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, झाँसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, फतेहपुर, इटावा, कन्नौज, चन्दौली, गोरखपुर, बस्ती, अम्बेडकरनगर, गोड़ा, अलीगढ़, हाथरस, एटा ।

**<u>योजनान्तर्गत पात्रता :-</u>**

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षार्थियों की न्यूतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थियों की चयन हेतु प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति/शासनादेश का पालन किया जायेगा।

**<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करना :-</u>**

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित रूप-पत्र 'ए' (संलग्नक-1) पर आवेदन पत्र एवं उनके साथ सुसंगत अभिलेख/शपथ-पत्र मण्डल स्थित प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी/फल संरक्षण अधिकारी को ऑन लाईन आवेदन करेंगे। विभागीय वेबसाईट **www.horticulture.up.in** पर प्रशिक्षण में प्रवेश सम्बन्धी विज्ञापन अपलोड

किया जायेगा। यदि आरक्षित वर्ग के प्रशिक्षार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, पुनः एक बार विज्ञापन के माध्यम से अथवा ऑन लाईन आवेदन पुनः आमंत्रित कर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

**चयन प्रक्रिया :-**

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर प्रशिक्षणार्थी का चयन हाई स्कूल में प्राप्त प्राप्ताकों के आधार पर मेरिट द्‌वारा किया जायेगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में लिखित परिक्षा के आधार पर प्रापत प्राप्ताकों के आधार पर किया जायेगा।

**प्रशिक्षार्थियों की संख्या :-** 30 प्रशिक्षाणार्थी प्रति कार्यक्रम।

**प्रशिक्षण अवधि :-** 100 दिन (3 घण्टे प्रतिदिन)

**प्रशिक्षण शुल्क :-**

प्रत्येक चयनित प्रशिक्षाणार्थी से रू0 300.00 प्रवेश शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

# योजना का नाम :

# गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन संबंधी जागरुकता प्रशिक्षण की योजना।

**प्रस्तावना :-**

इस योजना के तहत गुड हाईजीन प्रेक्टिस (जी.एच.पी), गुड मेन्युफैक्चरिंग प्रेक्टिस (जी.एम.पी), हेज़रड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एच.ए.सी.सी.पी) एवं हाईजीन, स्वच्छता एवं साफ-सफाई हेतु ढाबा, रेस्टोरेंट एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु कार्यरत कुशल एवं अकुशल कर्मियों को जागरुक करना है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों तक स्वच्छ एवं हाईजीन खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसे कार्यक्रम ऐसी जगहों पर आयोजित किये जाएंगे जहां न्यूनतम 50 लोगों के बैठने की जगह हो। जिनमें विद्यालय, सार्वजनिक स्थान, सामुदायिक केंद्र आदि शामिल हैं।

**योजना का उद्देश्य:**

खाद्य पदार्थों के निर्माण में लगे व्यक्तियों जैसे ढाबा रेस्टोरेंट, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कार्यरत कुशल, अकुशल श्रमिकों को गुड हाईजीन प्रैक्टिसेज, गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रेक्टिसेज, हिजार्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट,पर्सनल हाईजीन, सेनीटेशन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रशिक्षण, चिकित्सकों एवं खाद्य प्रसंस्करण के विशेषज्ञों द्वारा दिला कर उन्हें स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को तैयार किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना है।

**योजना का कार्य क्षेत्र:**

उत्तर प्रदेश के समस्त जिले।

**पात्रता मापदंड:**

समस्त पुरुष एवं महिलाएं योग्य होंगे।

**चयन प्रक्रिया:**

प्रचलित अखबारों में विज्ञापन/बैनरपोस्टर आदि के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी प्रकाशित की जाएगी एवं संबंधित प्राचार्य खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी फल संरक्षण अधिकारी द्वारा ही 50 प्रशिक्षुओं का चयन होगा।

**प्रशिक्षण की अवधि :** दो दिवसीय (रोज पांच घंटे)

**प्रशिक्षण शुल्क:** मुफ्त

# <u>योजना का नाम:-</u>

## <u>ढ़ाबा/ फास्ट फूड / रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की योजना।</u>

**<u>प्रस्तावनाः</u>**

इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के सूप जैसे कि रिच कैरेट सूप, क्रीम आफ टोमैटो सूप/ क्रीम आफ स्पिनैच सूप/क्रीम आफ लेन्टिल सूप/स्काच ब्राथ/जिंजर सूप/मशरुम सूप/कार्न सूप आदि एवं स्नैक्स यथा वेज कबाब, मलाई चैप्स, स्टफ्ड पनीर पकौड़े, वेजिटेबल कटलेट, उत्पम-चटनी/उपमा, स्पाइसी मैक्रोनी, वेजिटेबल बर्गर/मटन बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, हरा धनिया का रोल, सैण्डविच, ढ़ोकला, इडली ढ़ोसा, सांभर, वैज-मंचूरियन, मोमोज, चाउमीन, चिली पनीर/चिली पोटैटो, चायनीज फ्राइड राइस, वेजिटेबल/पनीर मनचूरियन, चायनीज चिली चिकन, मैक्रोनी आन्ग्रेतिन/वेजिटेबल आन्ग्रेतिन, वाल्ड्राफ सैलेड/कोल स्ला, स्काच एग्स/ शेफड्स पाई, फिश-एन-चिप्स/फिश-अ-ला एंग्लेज, स्पिनैच सूफले/पिज्जा स्कैलप्ड पोटैटो/क्रीम्ड पोटैटो, बेक्ड बटर चिकन आदि अखिल भारतीय व्यंजनों आदि उत्पादों पर सम्पूर्ण रोजगारपरक प्रशिक्षण इच्छुक लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।

**<u>योजना का उद्देश्य-</u>**

वर्तमान समय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खान-पान व्यवस्था से सम्बन्धित ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेंट की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जन सामान्य की मांग को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को साफ-सुथरा, पौष्टिक अल्पाहार, भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेंट प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं, ताकि बेरोजगार नवयुवक थोड़ा पूंजी निवेश कर ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेंट की स्थापना कर अपनी जीविका चला सकें। साथ ही जन सामान्य को पौष्टिकतायुक्त खाद्‌य पदार्थ सुलभ हो सकें।

**<u>योजनान्तर्गत पात्रता-</u>**

प्रशिक्षण कार्यकम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्णियों के चयन हेतु प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति/शासनादेश का पालन किया जायेगा।

**<u>योजना का कार्य क्षेत्रः-</u>**

उत्तर प्रदेश के समस्त जिले

**<u>पात्रता मापदंडः</u>**

समस्त पुरूष एवं महिलाएं योग्य होगें।

**चयन प्रक्रियाः**

प्रचलित अखबारों मे विज्ञापन/ बैनर ,पोस्टर आदि द्वारा योजना की जानकरी प्रकाशित की जाएगी एवं सम्बन्धित प्रधानाचार्य/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, फल संरक्षण अधिकारी द्वारा ही 30 प्रशिक्षर्थियों का चयन होगा।

**प्रशिक्षार्थियों की संख्या :-**

30 प्रशिक्षाणार्थी प्रति कार्यक्रम।

**प्रशिक्षण की अवधिः** 14 दिवसीय (रोज़ 3 घंटे)

**प्रशिक्षण शुल्कः** निःशुल्क